



2026:AHC:166288

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27704 सन् 2026

साजिद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : सुनील कुमार यादव, यशपाल यादव
विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार यादव, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री भूपेंद्र पाल सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन वाद अपराध संख्या 282 सन् 2025, धारा 80(2), 85, 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना सिविल

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लाइंस, जनपद मुजफ्फरनगर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का पति है, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आगे प्रस्तुत किया गया है कि विवेचना के दौरान मृतका के पिता, भाई, चचेरे भाई तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने दहेज की मांग पूरी न किए जाने के कारण मृतका को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में अभियोजन की कहानी का समर्थन किया था, किंतु विचारण के दौरान उक्त सभी साक्षियों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया तथा उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और वर्तमान में आवेदक के विरुद्ध कोई सामग्री नहीं है।

4. आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान वाद में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक विधि का पालन करने वाला नागरिक है तथा दिनांक 04.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. वाद के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक मृतका का पति है और मृतका के परिवार के सभी सदस्यों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया तथा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है, साथ ही कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए तथा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 3038 में प्रकाशित निर्णय के निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** में निर्धारित दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. आवेदक- **साजिद**, जो उपर्युक्त अपराध में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

i. आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार वह उपस्थित होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्र बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. आवेदक तथा जमानतदारों के दूरभाष संख्या एवं आधार पत्र का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की संगणक-जनित प्रति, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आधिकारिक जालस्थल से डाउनलोड की गई हो तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, इस उपक्रम के साथ प्रस्तुत किए जाने के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित कारागार को भेजेगा।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति **कारागार अधीक्षक, मुजफ्फरनगर** के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डाक अथवा ई-कारागार जालस्थल पर आवेदक को तथा विचारण न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजी जाए, ताकि **जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021 के संबंध में, दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा पीला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 सन् 2025, दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत, का अनुपालन सुनिश्चित हो।**

14. यदि कोई आवेदन हो, तो वह **निस्तारित** किया जाता है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

10 अगस्त, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।